

## प्रेस-विज्ञप्ति

समस्त क्लीनिक नर्सिंग होम एवं अस्पताल संचालकों को, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं उ०प्र० शासन के चिकित्सा अनुभाग-6 द्वारा जारी शासनादेश-280/2019/3139/पांच-6-2019-48(जी०)/2019 लखनऊ दिनांक 16.12.2019 के अनुपालन के क्रम में निर्दिष्ट किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च 2020 के उपरान्त उन्हीं नर्सिंग होमों, अस्पतालों, पथोलॉजी एवं क्लीनिकों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण किया जाएगा जो निम्नवत् शर्तें पूरी करते हैं।

1. इ०टीपी० (इफ्ल्यूएण्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट) यदि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट नगर निगम का है तो केवल ई०टी०पी० स्थापित होने पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के क्रम में।
2. क्षयरोगियों की मासिक रिपोर्ट, शासनादेश संख्या-280/2019/3139/पांच-6-2019-48 (जी०)/2019 के अनुपालन के क्रम में 01 अप्रैल 2020 से प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अधोहस्ताक्षरी के ई-मेल आई०डी० पर प्रेषित करें।
3. प्रसव सामान्य/सिजेरियन की मासिक रिपोर्ट, शासनादेश संख्या-280/2019/3139/पांच-6-2019-48 (जी०)/2019 के अनुपालन के क्रम में 01 अप्रैल 2020 से प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अधोहस्ताक्षरी के ई-मेल आई०डी० पर प्रेषित करें।
4. बायोमेडिकल वेस्ट हेतु अनुबन्ध की प्रति।
5. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एन०ओ०सी० की प्रति।
6. अग्निशमन विभाग द्वारा जारी एन०ओ०सी० की प्रति।
7. टीकाकरण की मासिक रिपोर्ट कार्यालय अधोहस्ताक्षरी के ई-मेल आई०डी० [cmoald2016@gmail.com](mailto:cmoald2016@gmail.com) एवं [nrhmallahabad@gmail.com](mailto:nrhmallahabad@gmail.com) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का पूर्ण पालन एवं बिन्दु संख्या-1, 4, 5, एवं 6 पर सम्बन्धित चिकित्सालय /संस्थान द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से प्रमाणपत्र-उपलब्ध कराने तथा आनलाइन आवेदन UP-Health. In पर कराने के उपरान्त ही नवीनीकरण/पंजीकरण किया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
प्रयागराज।

### कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांक-मु०चि०अ०/बा०मे०वे०/2020-21/ ~~कॉप~~ 1636

दिनांक 11.04.2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिला सूचना अधिकारी, कलेक्ट्रेट प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि उक्त का प्रकाशन जनपद के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें।
2. सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र जनपद प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त प्रेस नोट को अपने समाचार पत्र में दिनांक 12.04.2020 के संस्करण में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
3. अध्यक्ष/सचिव, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन, प्रयागराज को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार सूचना/कार्यवाही हेतु समस्त हॉस्पिटल/नर्सिंग होम को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
4. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जनपद प्रयागराज।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
प्रयागराज।